न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

दावा संख्या 21/2008
संलग्न दावा संख्या 54/091

बागाराम पुत्र नाथूराम जाति बलाई निवासी ग्राम ढाणी फतेहसिंह की तहसील व जिला सीकर राज.

– वादी–

बनाम

1. श्रीमति मन्नी देवी पत्नी कुरड़ाराम जाति मेघवालनिवासी घिरनिया बड़ा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज.
2. नाथ पुत्र भींवा जाति मेघवंशी निवासी ग्राम फतेहसिंह की ढाणी तहसील व जिला सीकर राज,
3. उप पंजियक सीकर
4. तहसीलदार सीकर, भूमिधारी

– प्रतिवादीगण –

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर.टी.एक्ट 1955 व विक्रय पत्र दिनांकित 22.3.2006 को वोईड एवं प्रभावशुन्य घोषित किये जाने हेतु

उपस्थित वकील – श्री बजरंग सिंह शेखावत एवं भंवरलाल बिजारणियां

निर्णय

दिनांक – 20-11-19

वकील वादी ने यह दावा प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सिहोट बड़ी की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 597 रकबा 3.04 है0 अवस्थित है, जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की पैतृक सम्पदा है। जिसका खाता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से है। प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी कादत्तक पिता है के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होने की वजह से हिन्दू धर्म शस्त्रानुसार अपने भाई के पुत्र वादी बागाराम को गोद लिया तथा गोदनामा प्रलेख 1.12.93 को पंजिकृत करवा दिया। इस प्रकार वादी, प्रतिवादी संख्या 2 का एक मात्र दत्तक पुत्र है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम होने से उसके मन में बेईमानी आ गयी, वादी का हिस्सा देने से इंकार कर दिया तथा बलपूर्वक वादी को 1/2 हिस्से से बेदखल करने पर तथा भूमि को विक्रय करने पर

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

उतारू हो गया। दिनांक 22.3.06 को प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये नुमाईशी विक्रय पत्र भूमि विक्रय कर दी जो बनावटी, नुमाईशी व बिना प्रतिफल के किया गया होने के कारण एवं बिना कब्जे के होने के कारण सर्वथा शुन्य एवं प्रभाहीन है। पैतृक सम्पदा में वारिसान का समान हक व हिस्सा होता है वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का केवल 1/2 भाग कानूनन बनता है । शेष भूमि वादी के हिस्से खातेदारी कब्जे काश्त की होने से बिना वादी की स्वीकृति के बेचान सर्वथा गैर कानूनी बिना अधिकार के होने से विक्रय पत्र प्रभाव शुन्य घोषित किये जाने योग्य है। अतः वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व विक्रय पत्र दिनांक 22.3.06 को प्रभावशुन्य घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को बेदखल नहीं करें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित रहे तथा जवाब मय काउण्टर वाद के पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 नाथ पुत्र भींवाराम के कब्ज खाते की भूमि खसरा नम्बर 597 रकबा 3.04 है0 थी जिसको जवाबदात्री द्वारा दिनांक 22.3.2006 को सप्रतिफल क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा वर्तमान में उसका नाम दर्ज चला आ रहा है। उक्त भूमि वादी की पैतृक भूमि नहीं है। जवाबदात्री की जानकारी में वादी को किसी प्रकार से दत्तक पुत्र लिये जाने की जानकारी नहीं है। वादी ने भूमि को हड़पने के लिये पंजिकृत विक्रय पत्र को निरस्त करवाने की सहायता चाही है जो दिये जाने में राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। जवाबदात्री रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर काउण्टर दावा पेश कर खूद को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की सहायता चाही है। वादी ने काउण्टर का जवाब पेश किया जिसमें अपने वाद के कथनों को दोहराया गया है। प्रकरण में जवाब दावा एवं काउण्टर दावा के जवाब के बाद तनकियात कायम की गई। वादी द्वारा स्वयं की एवं खेताराम पुत्र बिड़दाराम की साक्ष्य पेश की। वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य से जिरह नहीं की गई है ना ही साक्ष्य प्रतिवादी मय काउण्टर वाद के करवाई गई है। वादी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महोदय, क्र.सं. 2 सीकर में प्रस्तुत बाघाराम बनाम बनारसी देवी में हुऐ राजीनामे की प्रमाणित प्रति पेश कर इसके आधार पर वाद का निस्तारण किये जाने का अनुराध किया है।

प्रकरण में बरवक्त बहस वकील प्रतिवादी ने अपना जवाब ही बहस पढने का निवेदन किया। बहस वकील वादी सूनी गई । वकील वादी ने रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर वादी को गोद का पुत्र बताया है। दिनांक 1.12.93 को

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

गोदनामा तस्दीक करवाया गया है। नाथू की पत्नी अणची ने इस गोदनामें को चैलेन्ज किया लेकिन सीविल कोर्ट ने अणची की आपत्ति खारिज कर गोदनामा को सही पाया है। पैतृक भूमि है , मै. दत्तक पुत्र हूं। मेरा 1/2 हक बनता है इसलिये 1/2 का बेचान शून्य किया जावे व 1/2 हिस्से की खातेदारी मेरे नाम की जावे। मेरे समस्त दस्तावेज बागा पुत्र नाथा के नाम पर हैं। प्रकरण में तनकियात कायम की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई। हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। वाद एवं काउण्टर वाद का निस्तारण तनकीवार निम्न प्रकार से किया जाता है –

तनकी संख्या –1 –आया कृषि भूमि ख.नं. 597 रकबा 3.04 है0 वादी, प्रतिवादी सं0 1 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की पैतृक सम्पदा है? बजिम्मे वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी ने अपनी तनकी के समर्थन में ग्राम सिहोट बड़ी की जमाबंदी म्वत 2022–25 प्रस्तुत की जिसके अनुसार पुराने खसरा नम्बर 371 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी भींवा पुत्र भूरा कोम बलाई सा. ढाणीचारण की के नाम खातेदारी दर्ज थी जो नामा0 संख्या 160 के द्वारा जरिये विरासत नाथा पुत्र मु0 भींवा के नाम दर्ज हुई है। मिलान क्षैत्रफल से पुराने ख0 नं0 371 के नये खसरा नम्बर 597 रकबा 3.04 है0 बनना प्रमाणित है। इस प्रकार से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि उपर्युक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 नाथा पुत्र भीवां की पैतृक सम्पदा है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या –2 – आया विक्रय पत्र वादी के हिस्से तक प्रभाव शुन्य है। वादी अपने हक हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है? बजिम्मे वादी

इस तनकी के समर्थन में वादी ने गोदनामा की प्रति प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार वादी बागाराम प्रतिवादी संख्या 2 नाथा के द्वारा गोद लिया गया था। उक्त गोदनामा रजिस्टर्ड है। नाथा की पत्नी अणची द्वारा गोदनामा को चैलेन्ज करने का कथन वकील वादी ने बरवक्त बहस किया था कि उक्त आपत्ति को सिविल न्यायाल द्वारा खारिज कर गोदनामा को सही माना है। माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.2.19 में गोदनामा निरस्तीकरण का दावा खारिज किया गया है। इस निर्णय को आगे चेलेन्ज किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेजात या कथन वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा आदिनांक तक वैध है। गोदनामा वैध रहते हुऐ प्रतिवादी संख्या 2 नाथाराम द्वारा अपनी सम्पूर्ण पैतृक भूमि का बेचान अपनी पुत्री मन्नीदेवी को दिनांक 22.3.2006 को करवा दिया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर मन्नीदेवी उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार दर्ज हुई है। जबकि रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर दिनांक 22.3.2006 को वादी नाथाराम की पैतृक भूमि का 1/2 हिस्से का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार हकदार था। इस प्रकार उक्त

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

विक्रय पत्र वादी के हिस्से तक प्रभावहीन व शुन्य है। इस प्रकार वादी नाथा की पैतृक कृषि भूमि में से 1/2 हक हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है। यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या –3– आया वादग्रस्त भूमि ख0 नं0 597 रकबा 3.04 है0 पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 नाथा पुत्र भींवाराम के खाते कब्जे काश्त की थी। जो कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि नहीं है? बजिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। तनकी संख्या 1 में यह प्रमाणित हो चुका है कि उपर्युक्त भूमि वादी के दत्तक पिता की पैतृक भूमि है। नाथा को उक्त भूमि जरिये विरासतन नामा0 संख्या 160 के प्राप्त हुई है इससे पूर्व भूमि भींवा के नाम दर्ज थी। भूमि नाथा द्वारा स्वअर्जित की गई हो ऐसा कोई दस्तावेजात प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 अपनी तनकी को प्रमाणित नहीं कर पायी है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–4 – आया विक्रयपत्र दिनांक 22.3.2006 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 ने भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर कब्जा हक अधिकार स्वामित्व सुर्पूद कर दिया है? बजिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 के जिम्मे था। प्रतिवादीया ने अपने काउण्टर वाद में जरिये विक्रय पत्र दिनांक 22.3006 के द्वारा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त करने का उल्लेख किया है। इस प्रकरण में इस तनकी का कोई कानूनी महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि वादी स्व0 नाथा का दत्तक पुत्र है जो कि उपर्युक्त तनकी संख्या 2 में प्रमाणित हो चुका है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 का वादी के हिस्से 1/2 के अलावा कब्जा काश्त माना जा सकता है। रजिस्टर्ड गोदनामा रहते हुऐ उक्त विक्रय पत्र वादी के 1/2 हिस्से तक प्रभावहीन व शुन्य हो जाता है। यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होती है। अतः यह तनकी भी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 निर्णित की जाती है।

आज्ञा

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम सिहोट बड़ी की तन में अविस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 597 रकबा 3.04 है0 का वादी को 1/2 हिस्से का व, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा विक्रयपत्र दिनांक 22.3.2006 को वादी के 1/2 हिस्से तक प्रभावहीन व शुन्य घोषित किया जाता है। प्रतिदावा खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। तहसीलदार इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर, द्वितीय, सीकर
सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय आज दिनांक 20/11/19 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर